जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक :– जेपीडी/मुले/राजस्व/प.356/प्रे. 3152 जयपुर, दिनांक –31/1/06

आदेश

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत की चोरी संबंधी अपराधों की गुप्तचरी कर, सूचना प्रदान करने के संदर्भ में दिनांक 28.09.2005 को सम्पन्न हुयी समन्वय समिति की 86 वीं बैठक में विचार कर, कार्य सूची की मद संख्या 86.27 पर, निगम में कार्यरत मीटर रीडर, लाईन मैन तथा सहायकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना अनुमोदित की गयी है । तदानुसार निगम में कार्यरत मीटर रीडर, लाईन मैन तथा सहायकों, जिन्हें आगे मुखबिर कहा जायेगा, द्वारा विद्युत चोरी के अपराधों की गुप्तचरी कर न्यूनतम "पांच सूचना" देने पर, प्रत्येक पांच सफलतम सूचनाओं के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 500/– रू की राशि का नकद भुगतान किया जावेगा । वे ऐसी सूचना अपने कार्य क्षेत्र के सतर्कता शाखा के अधिकारी यथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक पुलिस /अधिशाषी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / पुलिस उप–निरीक्षक को व्यक्तिगत या डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते है ।

संबंधित अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर, मुखबिर की पहचान को गुप्त रखते हुए (ताकि मुखबिर किसी परेशानी में न पडे), इस प्रयोजनार्थ संधारित पंजिका में, प्राप्त सूचना का सारांश अभिलिखित करेगा, जिसमें प्रत्येक मुखबिर को गुप्त संकेतांक / विशेष पहचान (सिक्रेट आई.डी.) दी जावेगी । यह पंजिका अधिकारी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / प्रबन्ध निदेशक / अध्यक्ष द्वारा चाहे गये मामलों को छोड कर, सूचना प्राप्त करने वाला अधिकारी मुखबिर का नाम प्रकट नहीं करेगा । मुखबिर को गुप्त संकेतांक / विशेष पहचान (सिक्रेट आई.डी.) जारी करने एवं इस प्रयोजनार्थ संधारित पंजिका हेतु दिशा–निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किये जायेंगे ।

प्रोत्साहन राशि का भुगतान केवल सफलतम सतर्कता जांच रिपोर्टों पर ही देय होगा अर्थात वे सफलतम पांच सचूनाएं जिनकी जांच करने पर विद्युत चोरी का मामला बना हो एवं प्रत्येक मामलें में समझौता प्रभारों (Compounding Charges) की पूर्ण या आंशिक वसूली हुई हो या निर्दिष्ट न्यायालयों में शिकायत दर्ज करवा दी गयी हो या पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गयी हो ।

क्रमशः 2

भुगतान की विधि एवं स्वीकृति सहित समस्त पत्र व्यवहार, मुखबिर को आवंटित गुप्त संकेतांक / विशेष पहचान (सिकेट आई.डी.) के माध्यम से ही किया जायेगा । मुखबिर को नकद भुगतान की स्वीकृति, सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी की अभिशंसा के आधार पर सम्बन्धित संभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा जारी की जावेगी एवं उचित प्राप्ति रसीद के साथ वृत कार्यालय स्तर पर ही मुखबिर का नकद भुगतान किया जावेगा ।

उपर्युक्त योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

(आर. पी. गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संभागीय मुख्य अभियन्ता( ) जयपुर डिस्कॉम ——————
2. उप मुख्य अभियन्ता(सीपी एण्ड आरई) जयपुर डिस्कॉम,जयपुर ।
3. सचिव (प्रशासन) जयपुर डिस्कॉम,जयपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जयपुर डिस्कॉम,जयपुर ।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जयपुर डिस्कॉम,जयपुर ।
6. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम,जयपुर ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प.एवं स / जेसीसी / जेपीडीसी / एम.एण्ड पी.) जयपुर डिस्कॉम ——————
8. कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
9. अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर डिस्कॉम,——————
10. लेखाधिकारी (प.एवं स / जेसीसी / जेपीडीसी) जयपुर डिस्कॉम ——————
11. उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जयपुर डिस्कॉम,——————
12. सहायक अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर डिस्कॉम,——————

मुख्य लेखाधिकारी